



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127719

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 19395 वर्ष 2026

सुरेश यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संदीप कुमार तिवारी

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उ.प्र. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का परिशीलन किया।
2. यह जमानत याचिका उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत जिला सोनभद्र के विंडहमगंज थाने में दर्ज मुकदमा अपराध सं. 50 वर्ष 2026 में आवेदक की जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से यह भी कहा गया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के खिलाफ केवल एक मामला दर्ज है और उस एक मामले में आवेदक जमानत पर है। जमानत याचिका के समर्थन में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दायर हलफनामे के पैराग्राफ सं. 10 और 11 में आवेदक के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया गया है।

4. उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन एफआईआर में आवेदक के खिलाफ सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने और अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक या इसी तरह का अन्य लाभ प्राप्त करने के आरोप अस्पष्ट हैं। आगे उन्होंने कहा कि यदि अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत "गिरोह" और "गुंडा" की परिभाषा में शामिल किसी आरोपी द्वारा किए गए कृत्य या चूक से संबंधित कोई आरोप न हो, तो इसे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। इस मामले में, एफआईआर लंबित आपराधिक मामलों पर आधारित है, न कि किसी नए आरोप या ऐसे तथ्यों की खोज पर, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो, जिसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था।

5. उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग प्रतिशोध लेने, नागरिकों को परेशान करने या डराने-धमकाने, या राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब बराबर करने के लिए हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता।

6. उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने, प्रशंसा पाने या सरकार या सत्ताधारी दल के उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लिया है, जो अनुचित है।

7. उन्होंने यह भी कहा कि उपरोक्त वर्णित मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए वह अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जमानत पर रहते हुए आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा और न ही वह किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक इस मामले में 13.05.2026 से जेल में बंद है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह कानून से भाग जाएगा या विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होगा, साथ ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री इतनी मजबूत नहीं है कि यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

10. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों में आवेदक जमानत पर है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य है और अपराध करने का आदी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाकर और डराकर जमानत का दुरुपयोग करेगा।

11. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है:-

"(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को, यदि वह हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने निजी मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक--

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

12. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य, गिरोह-सूची में उल्लिखित अपराध की प्रकृति और आरोपी-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

13. **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एस.सी.सी. 713** मामले में यह माना गया कि संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के संरक्षण में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता बल्कि न्याय तक पहुंच और शीघ्र सुनवाई भी शामिल है। *सुप्रीम कोर्ट लीगल एंड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडरट्रायल प्रिजनर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया* मामले में यह माना गया कि विचाराधीन कैदियों को मुकदमे की सुनवाई तक अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप से

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किसी भी व्यक्ति को अपने कृत्यों के प्रतिकूल परिणामों का सामना नहीं करना चाहिए जब तक कि यह किसी निष्पक्ष मध्यस्थ के समक्ष सिद्ध न हो जाए। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं के कारण, जहां प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करने और मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान संभावित अपराधी को रिहा किए जाने की स्थिति में समाज के लिए जोखिम को कम करने के लिए, न्यायालयों को यह तय करना होता है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर सुनवाई संभव नहीं होगी और आरोपी काफी समय तक कारावास में रह चुका है, तो न्यायालय आमतौर पर उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होते हैं।

14. उपर्युक्त पक्षों की दलीलों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दताराम सिंह बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य (2018) 3 एससीसी 22** तथा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य (एसएलपी (क्रिमिनल) सं. 5191/2021)** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

15. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **सुरेश यादव** को व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

i) आवेदक यह वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.दं.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दं.प्र.सं./ 351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की जाती हैं। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

ए.पी. पांडे

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।